# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2081—पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11—11—2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 401/अपील/2011—12.

---

1— नीलम पिता शोभाराम
निवासी ग्राम नैनोद
तहसील व जिला इन्दौर

2— प्रदीप पिता चन्द्रकान्त मेहता
निवासी 1703—1704, गौरव कॉम्पलेक्स
कांदीवाली (पश्चिम) मुम्बई (महाराष्ट्र) ..............आवेदकगण

**विरूद्ध**

1— सर्विस पिता शोभाराम

2— परविश पिता शोभाराम (मृतक)
द्वारा वारिसान—
(1) पवन पिता स्व. परविश
(2) मुरली पिता स्व. परविश
(3) नंदकिशोर पिता स्व. परविश
(4) आनंद पिता स्व. परविश
(5) सुगनचन्द पिता स्व. परविश
निवासीगण ग्राम नैनोद
तहसील व जिला इन्दौर
(6) सरकसबाई पिता स्व. परविश
निवासी बजरंगपुरा, इन्दौर
(7) शारदाबाई पिता स्व. परविश
निवासी दिलीप नगर, ग्राम नैनोद, इन्दौर
(8) लताबाई पति तुफान सिंह
निवासी आष्टा
(9) लक्ष्मीबाई पिता स्व. परविश
निवासी देपालपुर जिला इन्दौर

3— विलम पिता शोभाराम

4— शीलम पिता शोभाराम

5— रमेश पिता शोभाराम (मृतक)
द्वारा वारिसान
(अ) श्रीमती बन्नोबाई पति स्व. रमेश

(ब) महेश पिता स्व. रमेश
(स) निलेश पिता स्व. रमेश
6– मांगीलाल पिता शोभाराम (मृतक)
द्वारा वारिस
मनोतराम पिता स्व. मांगीलाल
7– जयराम पिता शोभाराम
8– मनीबाई पिता शोभाराम
9– कैलाशीबाई पिता शोभाराम
10– कलीबाई पिता शोभाराम
11– गीताबाई पिता शोभाराम
12– सौरमबाई पिता शोभाराम
13– सरजुबाई पिता शोभाराम (मृतक)
द्वारा वारिस
मनीबाई पिता हठेसिंह
14– सुरेशबाई पिता शोभाराम उर्फ सुर्याबाई
15– सुरेश पिता शोभाराम
निवासीगण ग्राम नैनोद
तहसील व जिला इन्दौर
16– हंसानंद पिता किशनदास
17– राजेन्द्र पिता किशनदास
निवासीगण 2, जवाहर नगर
काटजु कॉलौनी, इन्दौर ..............अनावेदकगण

---

श्री के0के0 द्विवेदी,, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक एवं
श्री ओ0पी0 शर्मा, अनावेदक कमांक 16 एवं 17

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 8/3/17 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 नीलम द्वारा तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नैनोद तहसील व जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 206 रकबा 1.360 हेक्टेयर आवेदक

के पिता शोभाराम के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित है । उक्त भूमि के संबंध में शोभाराम द्वारा मृत्यु के पूर्व उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर शोभाराम के स्थान पर उसका एवं सुरेश का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 7–7–1981 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक शोभाराम के स्थान पर पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक कमांक 1 नीलम एवं सुरेश का नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये । तत्पश्चात अनावेदकगणं द्वारा अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 50 एवं 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2–8–2008 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे विधिवत आदेश पारित करें । अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में अपर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 29–1–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक कमांक 1 नीलम एवं सुरेश का नाम कम कर अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–6–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–11–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–1981 के विरूद्ध अपर कलेक्टर द्वारा 27 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यधिक विलम्बित है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि नहीं की जा सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है, और अपीलीय आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 7–7–1981 से निरंतर आवेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर उसका नाम

चला आ रहा है, इसलिए प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो गया है, जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है । इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर को प्रकरण के निराकरण का अधिकार नहीं होने के बावजूद उनके द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश में पालन में सीधे आदेश पारित किया गया है, और आवेदकगण सहित हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत साक्ष्य से वसीयतनामे को प्रमाणित करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिस पर विचार करने का अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 16 एवं 17 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता में अन्य वारिसों को न तो पक्षकार बनाया गया था, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया था । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से वसीयतनामा की फोटोकापी प्रस्तुत की गई है, और फोटोकापी पर नामांतरण नहीं हो सकता है । इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में घोर अवैधानिकता एवं अनियमितता पाये जाने से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है, और अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 28, 1995 आर.एन. 285 एवं 1999 आर.एन. 469 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 16 एवं 17 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने

से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 7–7–1981 को लगभग 27 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है । इस संबंध में 2010 आर.एन. 409 रणवीर सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

"धारा 50–म.प्र. कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960–धारा 42–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता या अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए–180 दिवस के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिए ।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 362 शारदा विहार विकास समिति विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः–

"धारा 50–स्वप्रेरणा पुनरीक्षण–के लिए परिसीमा–जानकारी के दिनांक से 180 दिवस है–जानकारी के दिनांक से 19 वर्ष पश्चात ऐसी शक्ति का प्रयोग–प्राधिकारी को मामला स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने की शक्ति नहीं है–कार्यवाहियॉं अकृत तथा शून्य हैं ।"

इसके अतिरिक्त यह निर्विवादित है कि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश है, जिसे आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । इस संबंध में 1981 आर.एन. 333 अजगरसिंह विरूद्ध एस.डी.ओ शुजालपुर तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50–स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कब किया जा सकता है–जहां आदेश अपील योग्य हो पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही एवं पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अपर तहसीलदार द्वारा अपर कलेक्टर के पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, अतः उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

नहीं दिया गया है, इसलिए भी उनका आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 में आवेदक कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, तब से निरंतर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज होकर प्रश्नाधीन भूमि उसके आधिपत्य में चली आ रही है, इसलिए प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित हो गया है, जिसके निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—11—2014, अपर कलेक्टर, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2—8—2008, अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—6—2011 एवं अपर तहसीलदार, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—1—2009 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 7—7—1981 स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर